न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : घनश्याम शर्मा, आर.ए.एस

प्रार्थना पत्र : 2/2018

निर्णय दिनांक : 12.07.2019

उनवान

1. नानूराम जांगिड़ पुत्र लक्ष्मीनारायण जांगिड़, जाति खाती निवासी ग्राम ठीकरिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जी सांगानेर, तहसील कार्यालय सांगानेर जिला जयपुर।
2. उप–तहसीलदार जी बगरू, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
3. सुरज्ञान पुत्र घासीराम जाति कुम्हार,
4. गट्टू पुत्र नाथूराम, जाति कुम्हार
5. दीपक पुत्र ग्यारसीलाल, जाति कुम्हार
6. मीना पुत्री ग्यारसीलाल, जाति कुम्हार
7. रामा देवी पत्नी ग्यारसीलाल, जाति कुम्हार
8. भंवरलाल पुत्र नाथूराम, जाति कुम्हार
9. दुर्गालाल पुत्र भूराराम, जाति रैगर
10. सीताराम पुत्र भोमाराम, जाति रैगर

निवासीयान ग्राम ठीकरिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

11. मैसर्स साबू एमरी स्टोन कम्पनी प्रा0 लि0 रजि0 आ. 13 गोपालबाड़ी जयपुर।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत पत्थर गढी अन्तर्गत धारा 111,128 भू.रा.अ. 1956

संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम ठीकरिया, पटवार हल्का ठीकरिया, भू.अभि.नि.क्षेत्र ठीकरिया, तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित है, जिसके हाल खसरा नम्बर 211 रकबा 0.4159 हैक्टेयर है जिस पर प्रार्थी काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। प्रार्थी की खातेदारी की उपरोक्त वर्णित भूमि के लगवा ग्राम ठीकरिया में अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 11 की भूमि हाल खसरा संख्या 211/1 रकबा 0.2339 हैक्टेयर है। प्रार्थी के पड़ौसी खातेदार ग्यारसीलाल पुत्र नाथू की मृत्यु हो गई है। अप्रार्थी संख्या 5 लगायत 7 ग्यारसी लाल पुत्र नाथू के उत्तराधिकारी है। अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 10 आये दिन प्रार्थी की भूमि पर सीमाओं का विवाद कर कब्जा करने की कोशिशें करते रहते है। इसी कारण प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 27.02.2018 को अपनी भूमि का सीमाज्ञान करवाया है। उक्त सीमाज्ञान को अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 10 मान नही रहे है। दिनांक 15.04.2018 को भी अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 10 ने प्रार्थी की भूमि की मेडबन्दी को तोड़ने का प्रयास किया। प्रार्थी द्वारा मना करने पर अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 10 नहीं माने और प्रार्थी के साथ लड़ाई झगड़ा करने पर उतारू हो गए। अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 10 को ऐसा करने का कोई अधिकार नही है। प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 10 की हरकतों से परेशान हो गया है। विवादों से बचने के लिए तथा आगे भी भविष्य में कोई विवाद न हो व प्रार्थी अपनी भूमि की सुरक्षा कर सकें, इस कारण प्रार्थी प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित अपनी भूमि का सीमा ज्ञान दिनांक 27.02.2018 के अनुसार पत्थरगढ़ी करवाकर ठोस सीमा चिन्ह कायम कराना चाहता है। अप्रार्थी संख्या 11 को अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 10 की भूमि में सहखातेदार

उप खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

Scanned by CamScanner

होने व प्रार्थी का पड़ौसी खातेदार होने से पक्षकार बनाया गया है। वादकारण दिनांक 27.02.2018 व 15.04.2018 से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है।

प्रा. पत्र पेश होने पर उसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलवी जारी की गयी। अप्रार्थीगण को जारी नोटिस बाद तामिल शामिल मिसल है। अप्रार्थी संख्या 9 की ओर से श्री प्रदीप कुमार शर्मा, एड0 ने अण्डरटेकिंग देते हुये जवाब आगामी तारीख पर प्रस्तुत करने का निवेदन किया। अप्रार्थी संख्या 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10 व 11 की ओर से समुचित तामिल के बावजूद कोई उपस्थित नहीं हुये। अप्रार्थी संख्या 4 व 8 के नोटिस की समुचित तामिल नहीं है, पुनः जारी होने के आदेश दिये गये। दिनांक 31.05.2018 को अप्रार्थी संख्या 9 के अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल है। अप्रार्थी संख्या 9 के अधिवक्ता ने जवाब मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्राथी ने प्रार्थना पत्र तथ्यों को छुपाते हुए तथा न्यायालय को गुमराह करते हुए अनुतोष पाने हेतु पेश किया गया है जो सरसरी तौर पर ही खारिज किये जाने योग्य है, प्रार्थी पत्थरगड़ी की आड़ में मिन उत्तरदाता के स्वामित्व व कब्जे की भूमि पर कब्जा करना चाहता है तथा जिस भूमि पर वह मिन उत्तरदाता का कब्जा स्वीकार करता है उसे पत्थरगड़ी की आड़ में हथियाना चाहता है जिसका कानूनन उसे कोई अधिकार नहीं है।

अप्रार्थी संख्या 9 के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत जवाब की नकल प्रार्थी अधिवक्ता को दी गयी। दिनांक 30.08.2018 को वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 4 का नोटिस बाद तामिल एवं अप्रार्थी संख्या 8 का नोटिस चस्पा तामिल प्राप्त शामिल मिसल है। अप्रार्थी संख्या 9 के अलावा कोई उपस्थित नहीं हुये, एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी।

वकील प्रार्थी की बहस प्रार्थना पत्र पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 111, 128 भू राजस्व अधिनियम 1956 पर सुनी गई दौराने बहस वकील प्रार्थी में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते बताया गया कि प्रार्थी जिनकी हाल खसरा नम्बर 211 रकबा 0.4159 हैक्टेयर है स्थित ग्राम ठीकरिया, पटवार हल्का ठीकरिया, भू.अभि.नि.क्षेत्र ठीकरिया, तहसील सांगानेर जिला जयपुर राजस्थान में स्थित है। जिसके प्रार्थी खातेदार काश्तकार है। जो काबिज होकर उक्त कृषि भूमि का उपयोग कर रहे है। हमने वकीलप्रार्थी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन करने पर प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 111, 128 भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि अपने स्तर पर टीम गठित कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि की वाके ग्राम ठीकरिया, पटवार हल्का ठीकरिया, भू.अभि.नि.क्षेत्र ठीकरिया, तहसील सांगानेर जिला जयपुर राजस्थान में स्थित हाल खसरा नम्बर 211 रकबा 0.4159 हैक्टेयर का सीमाज्ञान रिपोर्ट 27.02.2018 के अनुसार पुख्ता सीमाचिन्ह कायम करें। पुलिस इमदाद की आवश्यकता हो तो सम्बन्धित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करें।

निर्णय आज दिनांक 12.07.2019 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(घनश्याम शर्मा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर-द्वितीय (सांगानेर),
जयपुर

Scanned by CamScanner